पेरिस शांति व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का पुनर्गठन (1919–1925)
The Paris Peace Settlement and Reorganization of International Diplomacy (1919–1925)

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विजयी शक्तियों—ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली—ने पराजित राष्ट्रों के साथ शांति शर्तें निर्धारित कीं। इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल युद्ध का औपचारिक समापन नहीं था, बल्कि यूरोप की राजनीतिक संरचना का पुनर्गठन भी था।

वर्साय की संधि (1919) जर्मनी के साथ की गई सबसे महत्वपूर्ण संधि थी। इसके अंतर्गत जर्मनी पर युद्ध अपराध का आरोप (Article 231), भारी क्षतिपूर्ति, सैन्य प्रतिबंध तथा क्षेत्रीय हानि थोपी गई। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य का विघटन हुआ और नए राष्ट्र जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया अस्तित्व में आए। इस प्रक्रिया में "राष्ट्रीय आत्मनिर्णय" के सिद्धांत को आंशिक रूप से लागू किया गया, किंतु जातीय सीमाओं की जटिलता के कारण कई अल्पसंख्यक समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में यह काल महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेतक था। गुप्त कूटनीति के स्थान पर खुले समझौतों की बात की गई। राष्ट्र संघ की स्थापना सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित थी। यह पहली बार था जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संस्थागत रूप देने का गंभीर प्रयास किया गया।

इतिहासलेखन में इस शांति व्यवस्था पर व्यापक बहस हुई है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसे "दंडात्मक शांति" कहा और तर्क दिया कि इसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर भविष्य के संघर्ष की नींव रखी। दूसरी ओर कुछ संशोधनवादी इतिहासकारों का मत है कि संधि उतनी कठोर नहीं थी जितना बाद में प्रचारित किया गया, और जर्मनी की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता भी महत्वपूर्ण कारक थी।

निष्कर्षतः पेरिस शांति व्यवस्था ने यूरोप में एक नई राजनीतिक संरचना स्थापित की, किंतु इसकी अंतर्निहित कमजोरियों ने दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं की। यह शांति अस्थायी सिद्ध हुई और 1930 के दशक में यूरोप पुनः संघर्ष की ओर अग्रसर हुआ।